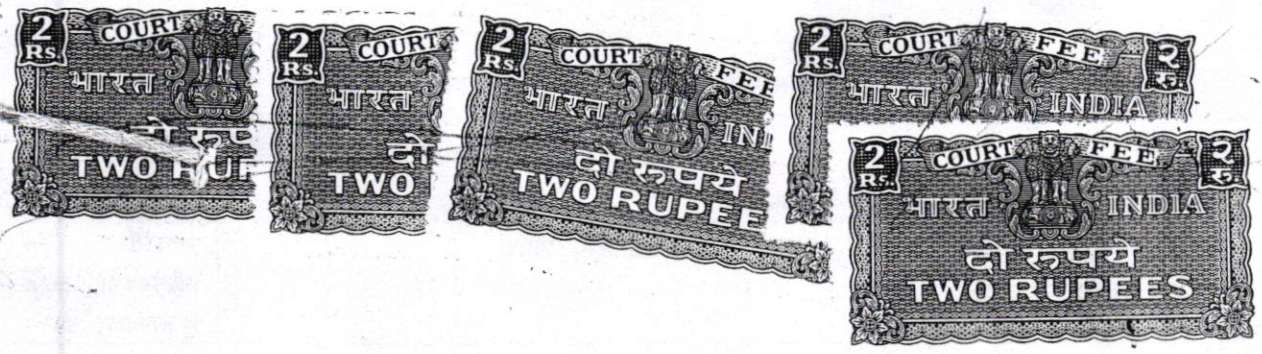

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12000 निगरानी R871-III/2000

अम्बाराम आत्मज लालजी आजना
निवासी ग्राम गोयला खुर्द तहसील व जिला उज्जैन

विरूद्ध

निरन्जनलाल पिता गंगादीन गर्ग
निवासी ४५ मुनीनगर सांवेररोड उज्जैन
---अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा ५० म0राजस्वसंहिता

26-5-2000

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के आदेश दिनांक ३-२-२००० प्रकरण क्रमांक २७७।९६-९७ अपील से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निम्नकारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदनपत्र प्रस्तुत करता है :-

17-6-2000

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 871-दो/2000 जिला उज्जैन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-7-18	आवेदक अधिवक्ता द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र. क्र. 277/1996-97/अपील में पारित आदेश दि. 3-2-2000 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में सीलिंग प्रकरण लंबित था, ऐसी दशा में जब तक सीलिंग प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता तब तक नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इस स्थिति पर विचार नहीं करने में तथा वादग्रस्त भूमि के स्वत्व के संबंध में कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क दिया गया कि सीलिंग प्रकरण के चलते किसी भी धारक द्वारा अगर कोई विक्रय किया जाता है तो वह विधिनुसार शून्य है, इस स्थिति पर विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि उपपंजीयक द्वारा रजिस्ट्री के बारे में इन्क्वायरी नहीं करने का उल्लेख कर प्रकरण को रिमाण्ड करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सेलडीड को आधार मानकर नामान्तरण आदेश पारित करने में तथा बिना किसी आधार के आवेदक की सीलिंग मुक्त भूमि की रजिस्ट्री होने का निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है । 4- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि अरबन सीलिंग के प्रकरण का अब तक निराकरण हो गया होगा । अत: पूर्ण जॉच कर ही निर्णय लिया जाना उचित होगा इसलिये अपर आयुक्त द्वारापारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। 5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-2-2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	